न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2017 (राजसमन्द आर्डर)

श्री अमरावन पिता श्री गोपावन जोगी निवासी कवास का गुड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) राम

..... अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द दि0 21–10–2016 प्रकरण संख्या 26/2016

---/---

उपस्थित :– 1– श्री गिरजा शंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता

------/------

निर्णय **दिनांक 31–07–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2016 में तहसीलदार देवगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–7–2016 से अपीलान्ट को ग्राम कवास का गुड़ा के आराजी नंबर 243 रकबा 2 बीघा किस्म बिलानाम पर अतिक्रमी व पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखली, जुर्माना व एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां अपील संख्या 26/2016 प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21–10–2016 से उक्त अपील खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21–10–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 9–1–2017 को पेश की। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र भी पेश किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर में यह कहा गया है कि उसके मकान के साथ अन्य लोगों के मकान भी बने हुए है। यह सुस्पष्ट है कि भूमि बिलानाम है तथा बिलानाम भूमि पर कब्जा रखे जाने को बिना किसी आधार अपीलान्ट को अनुमत नहीं किया जा सकता।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अनुरोध किया कि अपीलान्ट गरीब ग्रामीण काश्तकार है, उसने कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा, सिविल करावास की सजा माफ की जाय।

प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहानुभूति पूर्वक रूख रखते हुए हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस शर्त के साथ स्वीकार करते है कि अपीलान्ट निर्णय से एक माह की अवधि में अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लेगा तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ के यहां भविष्य में अतिक्रमकण नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत कर देगा एवं इस प्रकार से कब्जा हट जाने की पुष्टि तहसीलदार द्वारा कर लेने व अण्डर टेकिंग अन्दर अवधि प्रस्तुत हो जाने पर भुगते हुए सिविल कारावास के अलावा शेष सिविल कारावास को माफ किया जाता है, बेदखली व जुर्माने बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर